

भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- †8  
उत्तर देने की तारीख- 04/12/2023  
जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य स्थिति

†8. श्री बी.मणिकम टैगोर:  
श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य स्थितियों के संबंध में कोई अलग-अलग आंकड़े मौजूद नहीं हैं;
- (ख) क्या सरकार की देश में जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य स्थितियों के संबंध में अलग-अलग आंकड़े एकत्र करने की कोई योजना है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास और जनजातीय कल्याण जैसे क्षेत्रों के लिए और अधिक निधि आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) क्या जनजातीय आबादी में सिकल सेल, रक्ताल्पता और कुछ रोग जैसी अनेक बीमारियां अभी भी अधिक व्याप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार का जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी के लिए एक केंद्रीय डाटाबेस बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण हेतु संसाधनों संबंधी योजना बनाने हेतु कार्य आबंटन नियमावली में कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री  
(श्रीमती रेणुका सिंह सरूता)

(क) से (ग): "जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल" राज्य का विषय होने के कारण, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है। इसके अलावा, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करता है जो विशेष रूप से शहरी, ग्रामीण और जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब और कमजोर वर्ग के लिए

सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करके लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, देश के सार्वभौमिक डेटा का रखरखाव करता है। हालाँकि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जो लगभग तीन वर्षों की आवधिकता के साथ आयोजित किया जाता है, अनुसूचित जनजाति सहित सामान्य आबादी के लिए महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य संकेतकों पर अलग-अलग डेटा प्रदान करता है।

प्रमुख संकेतक एनएफएचएस-5 की राज्य-वार सूची नीचे दिए गए लिंक से ली जा सकती है:  
[http://rchiips.org/nfhs/districtfactsheet\\_NFHS-5.shtml](http://rchiips.org/nfhs/districtfactsheet_NFHS-5.shtml)

एनएफएचएस के हालिया आवर्तन (राउंड) से यह स्पष्ट है कि राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में जनजातीय आबादी के लिए प्रमुख स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संबंधित संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

**(घ):** भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास की एक रणनीति के रूप में जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) क्रियान्वित (लागू) कर रही है, जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं।

केंद्रीय बजट 2023-24 में 42 मंत्रालयों/विभागों के कुल योजना बजटीय आवंटन में से 1,17,943.73 करोड़ रुपये की राशि डीएपीएसटी निधियों के रूप में आवंटित की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में डीएपीएसटी बजट में लगभग 35% की वृद्धि है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2013-14 के वास्तविक आवंटन की तुलना में 2023-24 में डीएपीएसटी निधियों के आवंटन में लगभग साढ़े पांच गुना वृद्धि हुई है। 2018-19 से 2022-23 तक मंत्रालय/विभाग-वार आवंटन (बीई,आरई) और व्यय **अनुलग्नक - 1** पर दिया गया है।

**(ड.):** आईसीएमआर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिकल सेल जनजातीय क्षेत्रों में अधिक व्याप्त है। एससीडी का पहला मामला 1952 में नीलगिरि पहाड़ियों में पाया गया था। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त रोग है जो रोगी के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यह स्पष्ट है कि यह जनजातियों में अधिक आम है लेकिन यह गैर-जनजातीय समुदायों में भी होता है। यह न केवल एनीमिया का कारण बनता है बल्कि अत्यधिक दर्द, विकास में कमी और फेफड़े, हृदय, गुर्दे, आंखों, हड्डियों और मस्तिष्क जैसे कई अंगों को प्रभावित करता है।

जबकि कुछ राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा रोगग्रस्त आबादी की पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। मिशन जागरूकता सृजन, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावित जिलों में 0-40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और परामर्श के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा करने की परिकल्पना करता है। राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनएचएम के तहत निधियां अनुमोदित कर दी गई हैं।

इसी प्रकार, जनजातीय क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित तपेदिक का उन्मूलन भी सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिल कर 177 जनजातीय जिलों में अश्वासन अभियान, एक सक्रिय केस (रोगी) खोज अभियान शुरू किया था।

**(च):** जनजातीय कार्य मंत्रालय एक पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया में है जिसका उपयोग जनजातीय समुदायों की स्वास्थ्य स्थितियों पर एक डेटाबेस बनाए रखने के लिए किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से देश में जनजातियों सहित आम जनता के बीच एक स्वीकार्य मानक प्राप्त करने के लिए माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के साथ प्रभावी जुड़ाव के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। विभिन्न स्वास्थ्य पोर्टलों पर एकत्र किया गया डेटा जनजातीय या गैर- जनजातीय आदि के वर्गीकरण के बिना स्वास्थ्य डेटा (आंकड़े) एकत्रित (कैप्चर) करता है।

**(छ):** जी, नहीं।

दिनांक 04.12.2023 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

मंत्रालय/विभागवार डीएपीएसटी आवंटन (ब.अ., सं.अ.), पिछले पांच वर्षों के दौरान सं.अ. के संबंध में व्यय और ब.अ. 2023-24

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24
		ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय *	ब.अ.
1	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	125.82	106.71	106.71	114.81	105.91	105.91	118.65	106.69	102.81	115.5	100.92	98.46	85.82	85.82	85.62	104.21
2	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	3965.37	5784.72	3354.76	11168.01	8717.57	8434.19	11507.65	9993.11	9677.81	10528.73	10089.35	10073.2	10606.04	9408.92	8661.49	9811.05
3	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	246.64	265.94	251.49	235.73	221.80	220.87	270.89	240.76	241.34	265.29	225.37	222.82	327.2	242.4	166.48	376.92
4	वाणिज्य विभाग	25.00	25.01	25.01	25.01	29.01	24.99	25	15.45	15.45	25	25	15.53	25.51	26.01	23.67	25.37
5	उपभोक्ता मामले विभाग	3.00	2.58	2.58	2.66	1.72	1.00	2.58	1.83	1.71	1.92	1.92	1.92	1.08	0.75	0.97	0.8
6	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	71.50	72.99	69.29	88.22	78.92	61.81	68.56	47.57	38.9	61.04	47.9	46.69	60.66	49.88	43.5	58.48
7	मत्स्य पालन विभाग	--	--	--	53.83	49.44	45.87	53	63	62.89	91.52	110.91	109.38	172.71	127.78	100.47	182.59
8	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	6.00	6.00	6.00	2.00	0.50	--	--	5421.31	5421.31	10814.48	12683.3	12389.97	9152.54	12758.83	12758.54	9359.15
9	स्वास्थ्य एवं परिवार	3155.08	3382.32	3490.82	4042.09	4042.09	3851.10	4300	3997.14	4005.39	4260.2	5574.04	4262.7	5400.57	4924.44	4709.73	4830.41

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24
		ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय *	ब.अ.
	कल्याण विभाग																
10	उच्चतर शिक्षा विभाग	1480.00	1403.93	1264.48	1605.00	1605.00	1416.99	1640	1304.78	1294.21	1963.45	1689.41	1459.86	1986	1986	1850.35	2061
11	भूमि संसाधन विभाग	250.10	198.60	189.98	221.60	178.30	161.54	223.87	123.87	134.81	215.01	149.6	223.76	228.32	124.92	189.72	239.58
12	ग्रामीण विकास विभाग	5741.93	5443.79	5377.64	5984.12	5882.27	5904.17	5026	5823.02	5167.14	15127.24	19047.14	18652.6	18296.61	17987.91	17701.11	20400.56
13	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4908.31	4933.38	4900.56	5831.51	5831.61	5627.30	5844	5709.45	4099.62	5297.4	4809.68	4199.99	6093.66	5556.78	5289.95	6824.04
14	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	104.85	104.85	99.03	115.78	111.84	108.53	137.69	97	87.76	125.45	93.43	93.63	124.37	82.8	71.18	119.4
15	दूरसंचार विभाग	677.00	676.18	504.47	800.57	140.75	83.28	357.89	322.75	290.2	401.01	370.91	411.73	408.5	158.09	156.71	453.65
16	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	162.20	137.00	108.91	272.20	237.81	227.76	279.63	186.41	186.18	197.17	399.3	354.52	791.5	396.5	220.29	358
17	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2234.31	1997.80	1852.04	1999.47	1833.89	1833.89	2149.41	1700	1623.4	5897.18	4997.8	4310.62	6615.8	5896.7	6109.97	7615.9
18	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	26.00	26.00	4.00	35.00	26.00	26.00	37.7	31.7	31.7	35.8	34.91	34.71	72	56.55	43.42	71

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24
		ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय *	ब.अ.
19	कोयला मंत्रालय	30.53	30.53	30.53	94.35	95.16	98.75	70.52	73.67	83.66	36.11	73.62	72.59	27.05	42.38	41.62	48.46
20	संस्कृति मंत्रालय	35.10	33.60	24.45	35.10	22.51	21.92	24.86	16.89	11.43	19.57	20.95	32.66	22.9	35.99	35.81	27.98
21	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	527.25	593.70	567.13	810.50	750.87	741.20	822.92	563.61	563.6	716.87	716.87	715.09	754.95	819.67	241.54	1690
22	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	206.00	226.00	225.76	251.32	215.24	211.51	265.19	204	204	456.03	428	347.52	715.3	522.84	254.56	833.5
23	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	70.35	83.45	78.41	102.50	95.35	93.23	127	99	96.59	152	127	123.54	165.2	118	106.8	159
24	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	55.00	37.42	5.75	47.34	38.25	0.35	46.5	49.45	27.7	47.3	51.13	28.61	77.4	41.42	13.28	67.26
25	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	291.68	298.64	288.36	324.71	324.71	325.06	164.03	369.43	369.08	174.5	564.21	565.99	790.66	776.13	953.44	1204.01
26	श्रम और रोजगार मंत्रालय	607.74	776.98	748.62	929.06	929.06	845.45	977.95	1126.13	1101.6	1084.12	1168.23	1960.57	1389.69	1320.86	1067.18	1069.42
27	सूक्ष्म (माइक्रो), लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	587.74	607.36	826.92	560.39	618.96	773.54	634.13	382.34	553.87	350.5	1310.57	1468.58	1678.87	1621.22	2470.35	1883.09
28	खान मंत्रालय	9.63	10.43	10.59	25.55	25.55	23.80	23.23	23.23	23.13	15.03	17.5	17.48	20.7	20.7	20.76	18.4

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24
		ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय *	ब.अ.
29	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	217.00	217.00	188.18	441.00	322.00	279.92	486	288	200.98	486	389	235.91	384	572	342.58	572
30	पंचायती राज मंत्रालय	57.40	62.82	62.82	62.82	61.15	61.16	74.62	42.02	56.48	78.86	103.46	125.08	72	76.5	76.5	83.51
31	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	--	--	--	1570.21	1619.80	1619.80	1840.5	1652.27	1134.14	555.99	229	92.23	241	387.04	286.15	77.96
32	विद्युत मंत्रालय	976.30	913.30	496.02	803.79	803.78	706.11	857	516	391.99	765.6	660	...	584.08	388.74	194.73	957.23
33	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2700.00	2700.00	2355.56	2610.00	2610.00	2393.57	2920	3430	3404.57	4125	4525	4501.1	4545	6395.96	6281.13	23375
34	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	251.68	215.53	219.11	214.59	172.71	172.41	209.65	189.55	187.84	191.83	186.8	146.16	203.33	122.93	84.48	251.29
35	वस्त्र मंत्रालय	109.84	111.84	74.26	216.99	184.99	158.05	222.55	126.25	115.53	202.79	136.75	157.61	176.73	170.7	168.96	187
36	पर्यटन मंत्रालय	87.57	87.57	--	90.00	55.00	55.00	102	49	49	82	36.62	...	97.85	53	18.32	98.5
37	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1677.19	1865.71	1466.55	2486.64	2232.83	1787.30	2555.95	1785.23	1429.8	2077.93	2034.19	1967.27	2145	2111.8	2111.4	2166
38	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	164.65	148.30	121.20	161.17	182.82	182.35	201.35	117.92	116.32	121.25	138.08	102.16	161.15	135.6	126.73	165.1
39	उर्वरक विभाग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3592.57	6409.35	6782.83	4395.03	9824.37	10661.18	7699.72
40	औषधि विभाग	--	--	--	--	--	--	--	18.49	18.49	17	26.79	--	18.17	20.52	23.35	26.45
41	सहकारिता मंत्रालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62.79	85.4	4.3	4.74
	<b>कुल</b>	31845.76	33587.98	29397.99	44435.64	40455.17	38685.68	44668.47	46308.32	42622.43	70772.24	79804.01	76405.07	79177.74	85534.85	83768.32	105557.73

नोट: \*अंतिम

डेटा स्रोत: विवरण 10बी के अनुसार व्यय, 2018-19 से 2021-22 तक केंद्रीय बजट का व्यय प्रोफाइल और वर्ष 2022-23 के लिए एसटीसी एमआईएस पोर्टल (<https://stcmis.gov.in>)

\*\*\*\*\*